बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17– नि0 (मु0स्था0) / विशाखा– 147–2020......1069...... **पटना, दिनांक** :26-02-2021

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार

विषय :– कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न को रोकने हेतु **शिकायत निवारण समिति** का गठन के संबंध में।

महाशय्

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि बंदोबस्त कार्यालयों से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मामलों को निष्पादन हेतु भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को प्रेषित किया जाता है।

ज्ञातव्य हो कि महिलाओं के साथ कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्गत संकल्प **कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम–** 2013–सह–पठित संकल्प संख्या 3 / एम01–15 / 2001–4610 दिनांक–10.09.2009 एवं संकल्प ज्ञापांक– 3 / एम0–72 / 2014–17903 दिनांक– 29.12.2014 के द्वारा कार्यस्थलों पर **शिकायत निवारण समिति** का गठन किया जाना है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में आप सभी अपने–अपने कार्यालय में **शिकायत निवारण समिति** का गठन करते हुए प्राप्त मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

ज्ञापांक :– 17– नि0 (मु0स्था0) / विशाखा– 147–2020......1069...... **पटना, दिनांक** :26-02-2021

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17– नि0 (मु0स्था0) / विशाखा– 147–2020......1069...... **पटना, दिनांक** : 26-02-2021

प्रतिलिपि :– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप